[2020] 4 एस. सी. आर 602

सहायक आयुक्त (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा और ओ. आर. एस.

वी.

एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल सीमा

(2020 की सिविल अपील संख्या 2413)

06 मई, 2020

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कला. 226 – आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत क्षेत्राधिकार-मूल्यांकन का दायरा-के खिलाफ अपील

देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ सीमा अवधि से परे दायर मूल्यांकन आदेश-अपील को सीमा रिट याचिका यू/आर्ट द्वारा वर्जित के रूप में खारिज कर दिया गया। 226 मूल्यांकन आदेश को रद्द करने की मांग-उच्च न्यायालय ने निर्धारिती को खारिज करने वाले मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया

मामले पर पुनर्विचार के लिए मूल्यांकन अधिकारी को उच्चतम न्यायालय में नए सिरे से अपील-आयोजितः जहां किसी क़ानून द्वारा कोई अधिकार या दायित्व बनाया जाता है, जिसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय दिया जाता है, तो क़ानून द्वारा प्रदान किए गए उपचार का लाभ केवल उच्च न्यायालय के व्यापक अधिकार क्षेत्र से लिया जाना चाहिए। 226 , इसका मतलब यह नहीं है कि यह किसी क़ानून के मूल प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आदेश पारित कर सकता है-वैधानिक अपील धाराओं में निर्दिष्ट कुल 60 दिनों की अवधि के बाद दायर की गई थी। 31 2005 का अधिनियम-अपीलीय प्राधिकरण को 60 दिनों की कुल अवधि की देरी को माफ करने का अधिकार नहीं है क्योंकि

अपील दायर करने के लिए निर्दिष्ट वैधानिक अवधि समाप्त हो गई थी और

अपील दायर करने में देरी के लिए आधार को साबित किए बिना अपील दायर की गई थी, निर्धारिती को कोई अनुग्रह नहीं दिखाया जा सका-रिट याचिका सीमा पर खारिज होने के योग्य थी।

सिद्धांतः

विलय का सिद्धांत-अपीलीय मंच द्वारा विलंब आवेदन की माफी को अस्वीकार करने का अर्थ उस आदेश के साथ मूल्यांकन आदेश का विलय नहीं है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह एस से स्पष्ट है। 31 आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 कि वैधानिक अपील की आवश्यकता है

602 एएसएसटीटी। कॉमर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड।

निर्धारिती पर आदेश या कार्यवाही की तामील की तारीख से 30 दिनों के भीतर दाखिल किया गया। यदि अपील निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद दायर की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकरण को अधिकार है - अपील दायर करने में देरी को केवल तभी क्षमा करें जब यह 30 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर की जाती है और निर्धारित समय के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण बनाया जाता है। अपीलीय प्राधिकरण को आदेश या सेवा की तारीख से 60 दिनों की कुल अवधि से अधिक की देरी को माफ करने का अधिकार नहीं है।

निर्धारिती पर कार्यवाही, जैसा भी मामला हो। वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, अपील 2005 अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में निर्दिष्ट कुल 60 दिनों की अवधि से परे दायर की गई थी।

[पैरा 8] [614-डी-एफ]

2. अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 25.10.2018 के आदेश के माध्यम से, विलंब के लिए प्रतिवादी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार किया

अपील दायर करने में और यह निष्कर्ष निकाला कि उनकी पर्याप्त कारण के साथ पुष्टि नहीं की गई थी, और यह कि प्रतिवादी-निर्धारिती पर मूल्यांकन आदेश की सेवा की तारीख से 60 दिनों की अवधि से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है। [पैरा 8] [617-बी] 3. उच्च न्यायालय ने अंततः इस आधार पर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया कि मूल्यांकन आदेश की सेवा की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के कारण प्रतिवादी (रिट याचिकाकर्ता) के लिए वैधानिक उपाय अप्रभावी हो गया था। जैसे-जैसे,

अपीलीय प्राधिकरण के पास 60 दिनों की समाप्ति के बाद देरी को माफ करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसके बावजूद कि उसने कारण बताया था।

कर संबंधी मामले, प्रबंधन को उसे निलंबित करने और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर करते हैं। मूल्यांकन आदेश के बारे में पता चलने के तुरंत बाद, प्रतिवादी ने अपील दायर की थी, लेकिन वह 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद थी। उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा सेवा में लगाए गए इस तर्क से भी प्रभावित था कि उसे सी. एस. टी. विवरणी में बताए गए मूल्य के बीच विसंगतियों के बारे में प्राधिकरण (सहायक आयुक्त) को समझाने का एक मौका दिया जाना चाहिए। और कारोबार से संबंधित प्रपत्र "एफ" में दर्शाई गई राशि। आक्षेपित आदेश से जो अतिरिक्त कारण देखा जा सकता है, वह यह है कि प्रतिवादी ने पहले ही एक अतिरिक्त [2020] 4 एस. सी. आर. जमा कर दिया था।

पहले के आदेश के संदर्भ में विवादित कर राशि के 12.5% के बराबर राशि। [पैरा 10] [622-ए-ई]

4. भले ही उच्च न्यायालय राज्य द्वारा पारित किसी भी आदेश या निर्देश/कार्रवाई के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा नहीं करना चाहिए।

बेशक जब पीड़ित व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित तरीके से एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार का लाभ उठा सकता था। यद्यपि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्ति संविधान बहुत व्यापक है, न्यायालय को स्वयं लगाए गए संयम का प्रयोग करना चाहिए और रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, यदि

पीड़ित व्यक्ति के लिए वैकल्पिक प्रभावी उपचार उपलब्ध है।

[पैरा 11] [623-एच; 624-ए-सी]

भारत और ओआरएस। (2011) 14 एस. सी. सी. 337; थानसिंह नाथमल और अन्य। वी. कर अधीक्षक, धुबरी और अन्य। ए. आई. आर. 1964 एससी 1419: [1964] 6 एस. सी. आर. 654-अनुसरण किया गया।
बाबूराम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम। अन्तरीम जिला परिषद अब जिला परिषद, मुजफ्फरनगर ए. आई. आर. 1969

एससी 556: [1969] एस. सी. आर. 518-पर निर्भर।

5. जहाँ एक कानून द्वारा एक अधिकार या दायित्व बनाया जाता है, जो इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय देता है, तो द्वारा प्रदान किया गया उपाय

उस कानून का केवल लाभ उठाया जाना चाहिए। [पैरा 11] [625-ई]

टीटाघुर पेपर मिल्स कं. लिमिटेड और अन्न। वी. उड़ीसा राज्य और अन्य। (1983) 2 एससीसी 433: [1983] 2 एससीआर 743-निर्भर पर।

6. तथ्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का व्यापक अधिकार क्षेत्र है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी क़ानून के मूल प्रावधानों की अवहेलना कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिनका निपटारा केवल क़ानून द्वारा निर्धारित तंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। [पैरा 11] [626-जी]

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1997) 5 एससीसी 536: [1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 585-- पर निर्भर था।

7. निस्संदेह, अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

226 संविधान के अनुच्छेद व्यापक हैं, लेकिन निश्चित रूप से ASSTT.COMMR से व्यापक नहीं हैं।

(सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय को पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 142 पक्षकारों को पूर्ण न्याय देने के लिए संविधान के तहत संपूर्ण न्यायिक शक्तियों का एक समूह और भंडार है। उस शक्ति का प्रयोग करते समय भी, इस न्यायालय को विधायी इरादे को ध्यान में रखना आवश्यक है न कि वैधानिक प्रावधान को अनुचित बनाना। यह न्यायालय क्या नहीं कर सकता है

संविधान, यह समझ से परे है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद के संदर्भ में मामले में एक अलग दृष्टिकोण कैसे ले सकता है। 226 संविधान से। [पैरा 12 और 14] [627-ए-बी; 632-ई-एफ]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड v. गुजरात

ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड और अन्य। (2017) 5 एस. सी. सी. 42 [2017] 2 एस. सी. आर. 922; सिंह एंटरप्राइजेज बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जमशेदपुर और अन्य। (2008) 3 एससीसी 70: [2007] 13 एससीआर 952; सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम। होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड एन. आर. (2009) 5 एस. सी. सी. 791; छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग और अन्य। (2010) 5 एससीसी 23: [2010] 4 एससीआर

680 ; सूर्यचक्र पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। विद्युत विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

अधीक्षण अभियंता, पोर्ट ब्लेयर और अन्य। (2016) 16

एससीसी 152: [2016] 8 एस. सी. आर. 108; राज्य बनाम. मुश्ताक अहमद और अन्य। (2016) 1 एस. सी. सी. 325: [2015] 15 एससीआर 452

पर भरोसा किया।

8. किसी मामले में, निर्धारिती अपील की वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।

रिट याचिका के माध्यम से मूल्यांकन आदेश इस आधार पर कि वह अधिकार क्षेत्र के बिना है या अधिकार क्षेत्र से अधिक पारित किया गया है

सहित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को पार करके या पार करके

कानून और प्रक्रिया के नियमों की घोर अवहेलना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, जहां कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है। उच्च न्यायालय ऐसी चुनौती को स्वीकार कर सकता है और याचिकाकर्ता पर इस आधार पर मुकदमा नहीं कर सकता है कि वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है और जिसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा लागू किया जाए। हालाँकि, यदि रिट याचिकाकर्ता 60 दिनों [2020] की अधिकतम सीमा अवधि समाप्त होने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुनता है तो 4 एस. सी. आर.

2005 अधिनियम की धारा 31 के तहत निर्धारित, उच्च न्यायालय निवारण के लिए वैधानिक अवधि की अवहेलना नहीं कर सकता है।

शिकायत करना और निश्चित रूप से ऐसे पक्ष की रिट याचिका पर विचार करना। तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के पास व्यापक शक्तियां हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक रिट जारी करेगा जो 2005 अधिनियम की धारा 31 के तहत स्पष्ट रूप से निर्धारित व्यवस्था के संबंध में विधायी इरादे से असंगत हो सकता है। यह उक्त प्रावधान के पीछे की विधायी योजना और इरादे को अनुचित बना देगा। [पैरा 15] [633-बी-ई]

के. एस. राशिद और पुत्र बनाम आयकर जांच

आयोग ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 207: [1954] एससीआर 738; आईटीसी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ (1998) 8 एससीसी 610

प्रतिष्ठित।

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य। 2018 (361) ई. एल. टी. 22 (ए. पी.) पनोली इंटरमीडिएट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ और अन्य। आकाशवाणी 2015

गुज 97; फीनिक्स प्लास्ट्स कंपनी बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील-I), बैंगलोर 2013 (298) ईएलटी 481 (कर.)-स्वीकृत नहीं।

9. अपील का उपचार कानून की रचना है। यदि अपील निर्धारिती द्वारा विस्तारित वैधानिकता से परे प्रस्तुत की जाती है।

2005 के अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में 60 दिनों की सीमा अवधि और इसलिए, इस पर विचार नहीं किया जाता है, यह समझ से बाहर है कि यह मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला कैसे बन जाएगा, बहुत कम वैधानिक या कानूनी अधिकार। [पैरा 18] [635-सी-डी]

10.1 वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने जोर देकर कहा था कि उसे दिनांकित मूल्यांकन आदेश के पारित होने के बारे में जानकारी नहीं थी 21.6.2017 हालाँकि यह स्वीकार किया जाता है कि यह उत्तरदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को 22.6.2017 पर दिया गया था। जिस तारीख को प्रत्यर्थी को आदेश के बारे में पता चला, वह अपील प्राधिकरण के समक्ष दायर देरी की माफी के आवेदन में, उक्त आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में या उस मामले के लिए, रिट याचिका के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। दूसरी ओर, यह देखा गया है कि कर राशि के 12.5% के बराबर राशि, ए. एस. एस. टी. टी. की अपील दायर किए बिना, प्रत्यर्थी के लिए और उसकी ओर से 12.9.2017 पर जमा की गई।

कॉमर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड।

और बिना किसी आपत्ति के-2005 के अधिनियम की धारा 31 के तहत निर्धारित अधिकतम 60 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद। इतना ही नहीं, प्रत्यर्थी ने 8.5.2018 पर 2005 के नियमों के नियम 60 के तहत एक औपचारिक आवेदन दायर किया और अपील में उसी का पीछा किया, जिसे 17.8.2018 पर खारिज कर दिया गया था। [पैरा 19] [635-डी-जी]

10.2 इसके अलावा, मूल्यांकन आदेश के खिलाफ विचाराधीन अपील केवल 24.9.2018 पर दायर की गई।

अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष देरी की क्षमा), यह कहा गया है कि कंपनी को की गई अनियमितताओं के बारे में पता चला जुलाई, 2018 के महीने में अपने गलती करने वाले अधिकारी द्वारा, जो पूर्व-मान लेता है

कि प्रत्यर्थी को कम से कम जुलाई, 2018 में मूल्यांकन आदेश के बारे में पता होना चाहिए। उसी हलफनामे में, यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी कंपनी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी

मूल्यांकन आदेश, क्योंकि संबंधित कर्मचारी द्वारा उसकी लापरवाही के कारण इसे उसके संज्ञान में नहीं लाया गया था। रिट याचिका में प्रत्यर्थी ने प्रतिवाद किया है कि अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसके पास 30 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी, जबकि वास्तव में, आदेश की जांच करता है

प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित कारण और यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रत्यर्थी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। उस निष्कर्ष की उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में बिल्कुल भी जांच नहीं की गई है, लेकिन उच्च न्यायालय इस तथ्य से अधिक प्रभावित था कि प्रतिवादी कारोबार की मात्रा के संबंध में कुछ विसंगतियों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देने की स्थिति में था और यह कि प्रतिवादी पहले ही अपने द्वारा पारित पिछले आदेश के संदर्भ में अतिरिक्त राशि का 12.5% जमा कर चुका था। उस कारण का वैधानिक अवधि के भीतर अपील दायर न करने के औचित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। गलती करने वाले कर्मचारी या कम से कम अन्य कर्मचारी जो संबंधित अवधि के दौरान गलती करने वाले कर्मचारी के साथ जुड़े थे, का कोई भी हलफनामा देरी की माफी के लिए आवेदन में लिए गए रुख के समर्थन में दायर नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन या किसी भी तरह से वैधानिक आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन का मामला था। [पैरा 19] [635-जी-एच; 636-ए-ई] [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. चूंकि अपील दायर करने के लिए निर्दिष्ट वैधानिक अवधि

बहुत पहले अगस्त, 2017 में ही समाप्त हो गया था और प्रतिवादी द्वारा अपील केवल 24.9.2018 पर दायर की गई थी।

के भीतर अपील दायर करने में असमर्थता के बारे में याचिका की पुष्टि करना निर्धारित समय पर, प्रत्यर्थी को कोई अनुग्रह नहीं दिखाया जा सकता था। [पैरा 19] [636-ई-एफ]

12. यह कहना सही नहीं है कि प्रतिवादी असफल हो गया है।

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर हमला करने के लिए, दिनांक 25.10.2018 ने देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया, सहायक आयुक्त द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश, दिनांक 21.6.2017 का विलय हो गया। अपीलीय मंच द्वारा विलंब आवेदन को अस्वीकार करने का अर्थ उस आदेश के साथ मूल्यांकन आदेश का विलय नहीं है। [पैरा 20] [636-जी-एच; 637-ए]

13. उच्च न्यायालय को इस पर विचार नहीं करना चाहिए था

प्रतिवादी द्वारा यहाँ दायर विषय रिट याचिका। वैसा ही। सीमा पर अस्वीकार किए जाने के योग्य। [पैरा 21] [637-ए-बी]

राजा मैकेनिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-I (2012) 12 एससीसी

613 - पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[1969] एससीआर 518

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

(2011) 14 एस. सी. सी. 337

पीछा किया।

पै

रा 11

[1964] 6 एससीआर 654

पीछा किया।

पै

रा 11

[1983] 2 एससीआर 743

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[1996] 10 पूरक। एससीआर 585

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2017] 2 एससीआर 922

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2007] 13 एससीआर 952

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

(2009) 5 एस. सी. सी. 791

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2010] 4 एससीआर 680

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2016] 8 एससीआर 108

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2015] 15 एससीआर 452

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

2018 (361) ईएलटी 22 (ए. पी.)

पै

रा 15

अनुमोदित नहीं ASSTT.COMMR। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड।

आकाशवाणी 2015 गुजरात 97

मंजूरी नहीं मिली

पै

रा 15

2013 (298) ई. एल. टी. 481 (कर.)

मंजूरी नहीं मिली

पै

रा 15

[1954] एससीआर 738

प्रतिष्ठित

पै

रा 16

(1998) 8 एस. सी. सी. 610

प्रतिष्ठित

पै

रा 17

(2012) 12 एस. सी. सी. 613

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2413

2020 से।

उच्च न्यायालय के 19.11.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के डब्ल्यू. पी. सं. 39418 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद में न्यायिक कार्य।

जी. एन. रेड्डी, हेमल किरीट कुमार सेठ, टी. विजय भास्कर रेड्डी,

वी. लक्ष्मीकुमारन, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री मौनिका कस्तुरी और सुश्री इशिता माथुर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील में निर्णय से उत्पन्न होने वाला विवादास्पद प्रश्न

और तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट याचिका संख्या 39418/2018 में दिनांकित 19.11.2018 आदेश हैः क्या उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती देनी चाहिए कि उस आदेश के खिलाफ अपील का वैधानिक उपाय निम्न द्वारा पूर्वनिर्धारित था - सीमा का कानून?

3. प्रतिवादी सहायक की सूची पर एक पंजीकृत विक्रेता है।

आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 3 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 * के प्रावधानों के तहत काकीनाडा डिवीजन 2 में वाणिज्यिक कर आयुक्त, बड़ी कर दाता इकाई और हॉर्लिक्स, बूस्ट, बिस्कुट, घी, आयुर्वेदिक के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है।

' संक्षेप में, "उच्च न्यायालय"

2 संक्षेप में, "सहायक आयुक्त"

3 संक्षेप में, "2005 का अधिनियम"

4 संक्षेप में, "1956 का अधिनियम" [2020] 4 एस. सी. आर.

दवाएँ आदि। सहायक आयुक्त ने बुलाया था

कर नियम, 20055 जोड़ा गया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा रिपोर्ट किए गए गलत कारोबार के आधार पर मांग बढ़ाने में की गई त्रुटि को उजागर किया गया है। यह आवेदन केवल 8.5.2018 पर दायर किया गया था, जिसे सहायक आयुक्त द्वारा दिनांक 11.5.2018 के आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था। दिनांक 11.5.2018 के निर्णय से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने 28.5.2018 पर वाणिज्यिक करों के अपीलीय उपायुक्त, विजयवाड़ा के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे 17.8.2018 पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद ही, प्रत्यर्थी-निर्धारिती को दिनांकित मूल्यांकन आदेश के खिलाफ 24.9.2018 पर अपीलीय उपायुक्त के समक्ष अपील दायर करने की सलाह दी गई 21.6.2017 . इस बीच, 1.4.2013 से 31.3.2017 तक की कर अवधि के लिए की गई लेखा परीक्षा के संबंध में 31.3.2018 पर एक और मूल्यांकन आदेश पारित किया गया। हम वर्तमान अपील में उक्त आदेश से संबंधित नहीं हैं।

4. प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील पर वापस लौटना

बनाया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी को सलाह दी गई कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करे, जो केवल रद्द करने के लिए रिट याचिका संख्या 39418/2018 है। 5 संक्षेप में, "2005 के नियम" "संक्षेप में," अपीलीय उपायुक्त "या" अपीलीय प्राधिकरण ", जैसा भी मामला हो" ASSTT.COMMR "।

(सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

और अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 (सी. एस. टी.) की कर अवधि के लिए 21.6.2017 दिनांकित निर्धारण आदेश को कानून के विपरीत, अधिकार क्षेत्र के बिना और शाखा हस्तांतरण टर्नओवर पर लेवी की सीमा तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अलग करना और सहायक को निर्देश देना।

आयुक्त (सी. टी.) मूल्यांकन फिर से करें और सही शाखा हस्तांतरण कारोबार की गणना करें और प्रपत्र के आधार पर छूट प्रदान करें।

" एफ "। प्रत्यर्थी ने अपीलीय उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी, जिसमें प्रत्यर्थी को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए दिनांकित मूल्यांकन आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा पसंद की गई वैधानिक अपील को खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 8.11.2018 पर नोट किया कि प्रतिवादी ने अपील दायर करने के उद्देश्य से विवादित कर का 12.5% पहले ही भुगतान कर दिया था। इसने प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए रुख को भी नोट किया कि कर्मचारी जो प्रत्यर्थी के कर मामलों का प्रभारी था, ने चूक की थी और बाद में अनुशासनात्मक कार्यवाही के विचार में निलंबित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वैधानिक अपील निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं की जा सकी थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादी को एक सप्ताह के भीतर विवादित कर के 12.5% के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया और मामले को 19.11.2018 के लिए पोस्ट किया। यह एक एकतरफा आदेश था। प्रतिवादी, कथित आदेश के संदर्भ में, विवादित कर राशि के 12.5% के बराबर एक अतिरिक्त राशि जमा करता है। रिट याचिका को तब सुनवाई के लिए 19.11.2018 पर लिया गया था, जब पक्षों के वकील को सुनने के बाद, रिट याचिका को अनुमति दी गई और सहायक आयुक्त द्वारा पारित आदेश, दिनांक 21.6.2017 को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया और प्रतिवादी को सहायक आयुक्त के समक्ष भेज दिया गया।

प्रत्यर्थी ने 13.11.2018 पर वर्ष 2013-14 (CST) में करों के 12.5% के बराबर रु. 9,59,190/- (नौ लाख पचास-नौ हजार एक सौ नब्बे केवल) का भुगतान किया था। 5. पीड़ित महसूस करते हुए, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है। यह आग्रह किया जाता है कि प्रतिवादी वैधानिक उपचार का लाभ उठाने में विफल रहा है

निर्धारित समय के भीतर अपील की और यह भी कि अपील दायर करने में देरी को संतोषजनक रूप से समझाया नहीं गया था, उच्च न्यायालय को ऐसे व्यक्ति के कहने पर रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और

अधिक, क्योंकि प्रत्यर्थी ने अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को अंतिम होने में देरी के आधार पर अपील को अस्वीकार करने की अनुमति दी थी। वास्तव में, तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया और सहायक आयुक्त द्वारा पारित 21.6.2017 दिनांकित मूल्यांकन आदेश को रद्द करने में स्पष्ट त्रुटि की।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी आग्रह करेगा कि उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पर्याप्त शक्ति है।

भारत वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को एक असाधारण स्थिति मानते हुए प्रतिवादी को राहत प्रदान करेगा, जिसे यदि ठीक नहीं किया जाता है, तो न्याय की विफलता होगी।

7. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री जी. एन. रेड्डी और उनके विद्वान वकील श्री वी. लक्ष्मीकुमारन को सुना है।

उत्तरदाता।

8. निर्विवाद तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि 21.6.2017 दिनांकित मूल्यांकन आदेश को प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी

केवल 24.9.2018 पर अपीलीय उपायुक्त के समक्ष वैधानिक अपील। 2005 के अधिनियम की धारा 31 में वैधानिक उपचार का प्रावधान है।

एक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ। वही, जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू होता है, इस प्रकार हैः -

" 31. (1) कोई भी वैट डीलर या टी. ओ. टी. डीलर या कोई अन्य डीलर जो किसी अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश या दर्ज की गई कार्यवाही के अलावा अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश या दर्ज की गई कार्यवाही पर आपत्ति करता है।

आयुक्त या उपायुक्त उस तारीख से तीस दिनों के भीतर जिस दिन आदेश या कार्यवाही की तामील की गई थी

वह, ऐसे प्राधिकारी से अपील करे जो विहित किया जाएः

बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी तीस दिनों की अवधि के बाद की गई अपील को तीस दिनों की अवधि के भीतर स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि वैट डीलर या टीओटी डीलर या किसी अन्य डीलर के पास उस अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण थाः

बशर्ते कि इस प्रकार की अपील संबंधित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि विक्रेता

कर, जुर्माना, ब्याज या देय मानी गई किसी अन्य राशि या ऐसी किश्तों के भुगतान का प्रमाण, जो दी गई हैं, और कर, जुर्माना, ब्याज या किसी अन्य राशि के अंतर के साढ़े बारह प्रतिशत के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और अपीलार्थी द्वारा स्वीकार की गई कर, जुर्माना, ब्याज या कोई अन्य राशि, संबंधित के लिए

कर अवधि, जिसके संबंध में अपील को प्राथमिकता दी जाती है।

(2) अपील ऐसे रूप में होगी और इस तरह से सत्यापित की जाएगी, जैसा कि निर्धारित किया जाए और इसके साथ एक शुल्क भी होगा जो एस. एस. टी. टी. होगा।

कॉमर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ ने कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह Rs.50/- (केवल पचास रुपये) से कम नहीं होगा, लेकिन Rs.1000/- (केवल एक हजार रुपये) से अधिक नहीं होगा।

(3) (क) जहां उप-धारा (1) के तहत कोई अपील स्वीकार की जाती है, वहां अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पर कर सकता है। और ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने या विवादित कर के ऐसे हिस्से के भुगतान पर ऐसे समय के भीतर जो निर्दिष्ट किया जाए, अपील के निपटारे तक विवाद के तहत कर की शेष राशि के संग्रह पर रोक लगाने का आदेश;

(ख) खंड (क) के तहत स्थगन का आदेश देने से इनकार करने वाले अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी एक के आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर पुनरीक्षण याचिका

अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त को ऐसा इनकार

आयुक्त जो ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन हो सकता है जैसा कि वह उचित समझे, अपीलीय द्वारा अपील के निपटारे तक विवाद के तहत कर शेष के संग्रह पर रोक लगाने का आदेश दें।

अधिकार; (ग) खंड (ए) या (बी) में कुछ भी होने के बावजूद, जहां एक वैट डीलर या टीओटी डीलर या किसी अन्य डीलर ने वरीयता दी है।

धारा 33 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील, खंड (बी) के तहत आदेशित रोक, यदि कोई हो, ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा अपील के निपटारे तक प्रभावी होगी, और खंड (ए) के तहत आदेशित रोक, यदि कोई हो, तो ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा अपील के निपटारे तक प्रभावी होगी, केवल उस मामले में जहां अतिरिक्त

आवेदन पर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त

विक्रेता द्वारा उसे निर्धारित तरीके से किया जाता है,

उस प्रभाव के लिए विशिष्ट आदेश।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, ऐसी अपील को स्वीकार करने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर, अपीलार्थी को एक सुनवाई का अवसर और ऐसे नियमों के अधीन जो निर्धारित किए जाएं:

(क) मूल्यांकन की पुष्टि करें, कम करें, बढ़ाएं या रद्द करें या

दंड, या दोनों; या

(ख) निर्धारण या जुर्माना, या दोनों को अलग कर दें, और निर्धारित प्राधिकारी को इस तरह के आगे के बाद एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दें।

जांच जैसा कि निर्देशित किया जाए; या (ग) ऐसे अन्य आदेश पारित करें जो वह उचित समझे।

(4 ए) जहां इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है

किसी भी मामले में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी स्थगन आदेश के कारण या इस तथ्य के कारण कि कोई अपील या अन्य कार्यवाही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या

उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि की गणना करते समय, उच्चतम न्यायालय, जिसका प्रश्नगत आदेश या कार्यवाही पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखने वाले विधि के प्रश्न को शामिल करते हुए, वह अवधि जिसके दौरान स्थगन आदेश लागू है या वह अवधि जिसके दौरान ऐसी अपील या कार्यवाही लंबित है, को बाहर रखा जाएगा।

इस धारा के तहत अपील आदेश पारित करना।

(5) उप-धारा (4) के तहत आदेश पारित करने से पहले, अपीलीय प्राधिकारी ऐसी जांच कर सकता है जो वह उचित समझे या मामले को किसी अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकरण को जांच के लिए भेज सकता है और

किसी भी निर्दिष्ट बिंदु या बिंदुओं पर रिपोर्ट करें।
(6) इस धारा के तहत अपील में पारित प्रत्येक आदेश, धारा 32,33,34 और 35 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। "

इस प्रावधान के पाठ के अनुसार, यह स्पष्ट है कि वैधानिक अपील उस तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन

निर्धारिती को आदेश या कार्यवाही दी गई थी। यदि अपील निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद दायर की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकरण को अपील दायर करने में देरी को माफ करने का अधिकार है, केवल तभी जब यह 30 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर की जाती है और निर्धारित समय के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण बनाया जाता है। अपीलीय प्राधिकरण को निर्धारिती पर आदेश या कार्यवाही की सेवा की तारीख से 60 दिनों की कुल अवधि से अधिक की देरी को माफ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि

मामला हो सकता है। वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, अपील 2005 अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में निर्दिष्ट कुल 60 दिनों की अवधि से परे दायर की गई थी। उस में, प्रतिवादी ने साथ में अपील दायर की थी निम्नलिखित शब्दों में कारणों को निर्धारित करते हुए देरी की माफी के लिए एक आवेदन द्वाराः -

" 2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित आदेश-इन-मूल दिनांक 21.06.2017 आवेदक द्वारा 22.06.2017 पर प्राप्त किया गया था और आवेदक द्वारा आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 की धारा 31 के संदर्भ में 21.07.2017 पर अपील दायर की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, अपील दायर करने में देरी होती है। आवेदक आगे प्रस्तुत करते हैं कि देरी आवेदक की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण नहीं है।

एसएसटीटी। कॉमर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ ने कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

4. श्री पी. श्रीराम मूर्ति को बिक्री कर (वैट), सेवा कर और उत्पाद शुल्क के दैनिक मामलों को संभालने के लिए अधिकृत किया गया था और उन्हें कर विभागों के साथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और जमा करने, आवधिक कर विवरणी दाखिल करने और पहले कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी अधिकृत किया गया था। संबंधित कर प्राधिकरण।

5. हालांकि, कंपनी ने श्री पी. श्रीराम मूर्ति पर पिछले 12 महीनों से अधिक समय से कुछ अनियमितताएं करने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है। उन्हें 26 जुलाई 2018 से अपने आधिकारिक कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया है।

6. उनके निलंबन के बाद ही आवेदक को विवादित आदेश की प्राप्ति के बारे में पता चला। इसके अलावा, अपीलार्थी को पता चला है कि श्री मूर्ति ने 12.09.2017 पर मांग राशि का 12.5% भुगतान किया जैसे कि यह एक नियमित कर भुगतान है। इसके अलावा, चूंकि उन्होंने समय पर अपील दायर नहीं की, इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई से खुद को बचाने के लिए, उन्होंने वैकल्पिक मार्ग अपनाया और नियम 60 के तहत सुधार आवेदन दायर किया जो अनुमेय नहीं है।

तकनीकी आधार पर मांग उठाए जाने के मामले में कानून के तहत।

7. मामले के तथ्यों के बारे में एक अलग हलफनामा भी संलग्न किया गया है

इसके साथ।

8. यह कहा गया है कि ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और संलग्न हलफनामे में, आपका सम्मान इस बात की सराहना करेगा कि अपील दायर करने में देरी पूरी तरह से अनजाने में और ऊपर बताए गए वास्तविक कारणों से है। आवेदक कंपनी

निष्क्रियता के कारण कर देनदारियों के साथ नहीं लगाया जाना चाहिए और

एक कर्मचारी पर दुर्भावनापूर्ण इरादा। आवेदक आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि उपरोक्त क्रमांकित अपील दायर करने में देरी नहीं है

क्षमा किए जाने पर, आवेदक को बड़े अन्याय और अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि देरी को माफ कर दिया जाता है तो कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा। जहाँ तक, यह प्रार्थना की जाती है कि एल. डी. अपीलीय संयुक्त आयुक्त (एसटी) के लिए आवेदन की अनुमति देने के लिए प्रसन्न हो

प्रार्थना के अनुसार देरी की क्षमा। "[2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैसा कि कोर अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए आवेदन में कहा गया है, प्रतिवादी ने श्री श्रीधर का हलफनामा दायर करने के लिए कहा

एन, स्वर्गीय श्री आर. सीता राम स्वामी के पुत्र, जो प्रतिवादी कंपनी में निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। इस शपथ पत्र में, देरी की माफी के लिए आवेदन के समर्थन में, यह इस प्रकार कहा गया हैः -

.....

कि श्री पी. श्रीराम मूर्ति, उप प्रबंधक-वित्त, थे बिक्री कर (वैट), सेवा कर और उत्पाद शुल्क के दैनिक मामलों को संभालने के लिए अधिकृत। उन्हें हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए भी अधिकृत किया गया था।

कर विभागों के साथ दस्तावेज, आवधिक कर विवरणी दाखिल करें और

संबंधित कर अधिकारियों के समक्ष कंपनी का प्रतिनिधित्व करें।

कि 2013-14 अवधि के लिए सी. एस. टी. मूल्यांकन पूरा हो गया था

सहायक आयुक्त (सी. टी.) एल. टी. यू. द्वारा की गई मांग

कि मूल्यांकन आदेश श्री पी. श्रीराम मूर्ति को प्राप्त हुआ था। लेकिन, इस मूल्यांकन आदेश की प्राप्ति की सूचना किसी को नहीं दी गई थी। कंपनी का दूसरा व्यक्ति।

कि श्री पी. श्रीराम मूर्ति ने कंपनी को सूचित किए बिना आंध्र प्रदेश अधिनियम, 2005 के नियम 60 के तहत आवेदन दायर किया।

इस तरह की फाइलिंग।

कि श्री पी. श्रीराम मूर्ति ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को भी नियुक्त किया और नियम 60 के तहत दायर आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ अपील दायर की। चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति और यह अपील दायर करने के बारे में भी कंपनी को सूचित नहीं किया गया था।

कि कंपनी ने श्री पी. श्रीराम मूर्ति पर कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है

श्री पी. श्रीराम मूर्ति को 26 जुलाई 2018 से उनके आधिकारिक कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में जांच चल रही है। कि उनके निलंबन के बाद ही हमें वर्ष के लिए सी. एस. टी. मूल्यांकन आदेश के माध्यम से जुटाई गई 73,197/- लाख की मांग के बारे में पता चला है और इसलिए हम इस आदेश/मांग के संबंध में कोई प्रतिक्रिया या कोई कार्रवाई नहीं कर सके।

एसएसटीटी। कॉमर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ ने कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह प्रार्थना की जाती है कि एल. डी. अपीलीय संयुक्त आयुक्त (एसटी) अनुरोध के अनुसार देरी को माफ करने के लिए आवेदन को अनुमति देने के लिए प्रसन्न हों।

के लिए "।

अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, अपील दायर करने में देरी के लिए प्रतिवादी द्वारा दिए गए संकेतों पर विचार करते हुए कहा कि उनकी पर्याप्त कारण के साथ पुष्टि नहीं की गई थी। यह पता लगाने में कि 60 दिनों की अवधि से अधिक की देरी

प्रत्यर्थी पर मूल्यांकन आदेश की सेवा की तारीख

देखने को माफ नहीं किया जा सकता है, अपीलीय प्राधिकरण ने इस प्रकार कहाः

" हालाँकि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए, अपीलार्थी को 10.10.2018 पर होने वाली प्रवेश सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए 03.10.2018 और 19.10.2018 दिनांकित नोटिस जारी किए गए हैं और

आयुक्त (सी. टी.), विजयवाड़ा अपील याचिका स्वीकार करने के समर्थन में कारणों और उनकी दलीलों को समझाने के लिए। ए. आर. 25.10.2018 पर प्रवेश सुनवाई के लिए उपस्थित हुए और अपील याचिका स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन प्रस्तुत नहीं की गई

कोई भी विश्वसनीय आधार और पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य

यहां यह दर्ज करना और भी उचित है कि मूल मूल्यांकन आदेश प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता-विक्रेता ने एपीवीएटी नियम, 2005 के नियम 60 के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष एक अनुरोध पत्र दायर किया है। हालांकि, एए ने इस पर विचार नहीं किया है पुनर्मूल्यांकन अनुरोध, और एक समर्थन dt.11.05 जारी किया। 2018 , पुनर्मूल्यांकन अनुरोध को अस्वीकार करना। याचिकाकर्ता ने भी दायर किया

इस तरह के समर्थन पर अपील करें। उस अपील याचिका के आधार पर

इस कार्यालय में समर्थन भी स्वीकार नहीं किया गया है और ए. डी. सी. के आदेश सं. 3470 , डीटी। 17.08.2018 . इसलिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं माना जा सकता है, और किसी भी विस्तार से नहीं

यह कल्पना कीजिए कि अपीलार्थी-विक्रेता मूल मूल्यांकन आदेशों की सेवा से अवगत नहीं था। अतः यह पुष्टि की जानी चाहिए कि

विलम्ब क्षमा के लिए रखे गए कारण तर्कसंगत नहीं हैं और मामले के तथ्यों को दोहराते हैं। यहां यह बताना भी प्रासंगिक है कि जो भी परिस्थितियां हों, 60 दिनों से अधिक की देरी को अपीलीय प्राधिकरण के हाथों में माफ नहीं किया जा सकता है, इसलिए, ऐसा अनुरोध प्रथम दृष्टया अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः अस्वीकार किए जाने योग्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि नहीं

अपील स्वीकार करने के लिए अनुकूल आधार बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अपीलार्थी निर्धारित अवधि के भीतर अपील याचिका दायर करने में विफल रहे हैं।

विभाग ने मूल मूल्यांकन आदेश को विधिवत पूरा किया है अपीलार्थी बिना किसी प्रक्रियात्मक चूक के, और अपीलार्थी भी

उसने स्वीकार किया है कि मूल आदेश 22.06.2017 पर प्राप्त हुए थे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अपीलार्थी एक पसंद करने में विफल रहा

मूल मूल्यांकन आदेश दिनांक 21.06.2017 पर अपील, जो अपीलार्थी को विधिवत सेवा प्रदान की गई थी, और इस तरह मूल

मूल्यांकन आदेश अंतिम हो गया है, और वर्तमान अपील दायर की गई है

अपीलार्थी द्वारा 24.09.2018 पर 1 वर्ष 62 दिनों की देरी के साथ,

इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा अपीलकर्ताओं ने कोई वैध आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

अपील को प्राथमिकता न देने के कारण/पर्याप्त कारण 30 + 30 = 60 दिनों का निर्धारित और माफ करने योग्य समय

मूल मूल्यांकन आदेश की प्राप्ति। इसलिए की गई है याचिका

याचिका एतद्द्वारा इसके प्रावधानों के अनुसार खारिज की जाती है

एपीवीएटी अधिनियम की धारा 31 "।

(जोर दिया गया)

अपीलीय प्राधिकारी ने इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया कि

प्रत्यर्थी मूल्यांकन आदेश की सेवा से अवगत नहीं था, क्योंकि यह प्रत्यर्थी द्वारा अप्रमाणित था। जब मामला उच्च न्यायालय में गया, तो खंड पीठ ने प्रतिवादी को सुनने के बाद,

8.11.2018 पर एक पूर्व-पक्षीय आदेश पारित करने के लिए लिखा गया, जो इस प्रकार हैः -

" आदेशः

इसका प्रतिनिधित्व विद्वान वकील श्री एस. द्वारकानाथ द्वारा किया जाता है।

याचिकाकर्ता के लिए कि याचिकाकर्ता पहले ही 12.5% का भुगतान कर चुका है

विवादित कर, अपील दायर करने के उद्देश्य से। लेकिन, कर्मचारी,

अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार, अपील दायर करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि

मुद्दा एक संकीर्ण परिसर में है।

चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही विवादित का 12.5% का भुगतान कर चुका है।

कर, याचिकाकर्ता का एक और अवसर देने का अनुरोध

यदि याचिकाकर्ता अतिरिक्त ASSTT.COMMR का भुगतान करता है तो इसे अनुकूल माना जाएगा।

(सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विवादित कर के 12.5% के बराबर राशि। याचिकाकर्ता ने

ऐसा भुगतान एक सप्ताह की अवधि के भीतर करेगा।

ऑर्डर के लिए 19.11.2018 पर पोस्ट करें।

यह ध्यान दिया जाए कि प्रत्यर्थी को केवल दिनांकित 21.6.2017 के मूल्यांकन आदेश को दरकिनार करने के लिए रिट याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी,

9. हम रिट याचिका में किए गए दावों का विज्ञापन कर सकते हैं (जिसके आधार पर उच्च न्यायालय को राहत देने के लिए प्रसन्न था) प्रत्यर्थी), वैधानिक अपील दायर करने में देरी की व्याख्या करने के लिए जिसमें यह कारण भी शामिल है कि प्रत्यर्थी को एक अवसर क्यों दिया जाना चाहिए। वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

... .

7. उपरोक्त से, यह संक्षेप में कहा जा सकता है कि कुल विवादित मांग दो कारणों से उत्पन्न हुई है। सबसे पहले, पहला

प्रत्यर्थी ने मासिक सी. एस. टी. विवरणी के अनुसार कुल शाखा हस्तांतरण कारोबार पर विचार किया है और वैट 200-बी के अनुसार संशोधित कारोबार को नजरअंदाज कर दिया है। हालांकि, इस तरह के संशोधित स्टॉक हस्तांतरण मूल्य पर पहले उत्तरदाता द्वारा एपी वैट अधिनियम के नियम 20 (8) के अनुसार आईटीसी क्रेडिट की गणना करते समय विचार किया गया था। दूसरा, एफ फॉर्म जारी करते समय प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा मुफ्त उपहारों, मुफ्त नमूनों आदि के मूल्य को शामिल करने के कारण अतिरिक्त फॉर्म की प्राप्ति। प्रथम उत्तरदाता ने इन अतिरिक्त एफ प्रपत्रों के मूल्य को याचिकाकर्ता द्वारा छिपाने के रूप में माना और इस शाखा हस्तांतरण मूल्य पर भी कर लगाया, जो विधिवत रूप से एफ प्रपत्रों द्वारा कवर किया गया है जो सिद्धांत के खिलाफ है।

कानून से।

8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को 22.6.2017 पर आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता उक्त तिथि से 30 दिनों के भीतर दूसरे प्रतिवादी के समक्ष अपील कर सकता था। दुर्भाग्य से, नियत तिथि के भीतर कोई अपील दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए क्योंकि बिक्री कर, सेवा कर और उत्पाद शुल्क कानून के दिन-प्रतिदिन के मामलों को उप प्रबंधक के रूप में काम कर रहे श्री पी. श्री राम मूर्ति द्वारा संभाला जा रहा था।

(वित्त) कंपनी में, जो अपनी लापरवाही के कारण समय के भीतर अपील करने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहा। अपवादात्मक

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रीमान पी. श्री राम मूर्ति, कोई और व्यक्ति नहीं था जो ठीक था। तथ्यों और मूल्यांकन आदेश के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों से परिचित होना। मूल्यांकन सुनवाई में भाग लेने वाले वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) श्री सिद्धांत बेलगांवकर ने भी 31.1.2018 पर याचिकाकर्ता की सेवाएं छोड़ दीं। नतीजतन, मूल्यांकन आदेश निर्विरोध बना रहा।

9. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि लापरवाही के इस कार्य के अलावा, श्री पी. श्री राम मूर्ति ने एक वर्ष की अवधि में कुछ अन्य अनियमितताएं भी कीं, जो जुलाई, 2018 के महीने में कंपनी के प्रबंधन के प्रकाश में आईं।

तुरंत, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई, 26.7.2018 (ex. पी-3) और उसे तत्काल प्रभाव से आधिकारिक कर्तव्यों से निलंबित करना।

10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को विवादित आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि उस तथ्य को स्वयं ध्यान में नहीं लाया गया था कर्मचारी, इस लापरवाही के कारण।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त श्री पी. श्री राम मूर्ति ने अपनी लापरवाही का एहसास करते हुए, सी. एस. टी. (ए. पी.) नियमों के नियम 14-ए (10) के साथ पढ़े गए ए. पी. वी. ए. टी. नियमों के नियम 60 के तहत 9.5.2018 (एक्स. पी-4) यह तर्क देते हुए कि वैट 200-बी के अनुसार स्टॉक हस्तांतरण का संशोधित मूल्य होना चाहिए

Rs.866,25,15,490/- के बजाय माना गया। उक्त में प्रतिनिधित्व, यह दावा किया जाता है कि उसने इसके तहत संशोधित विवरणी दाखिल की है

वैट अधिनियम, फॉर्म 200 दाखिल करते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित करने के उद्देश्यों के लिए सही 'एफ' फॉर्म कारोबार का खुलासा करता है

कारोबार Rs.863,33,95,259/- के रूप में। उक्त अभ्यावेदन में, यह तर्क दिया गया था कि रु. 1,85,03,360/- का कारोबार नहीं हो सकता था। कर के साथ लगाया गया है क्योंकि यह स्वीकार्य रूप से 'एफ' प्रपत्रों द्वारा कवर किया गया है।

12. नियम 60 के तहत याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को प्रथम प्रतिवादी द्वारा, दिनांक 11.5.2018 के समर्थन द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(Ex. पी-5) इस आधार पर कि यह नियम 60 के तहत सुधार योग्य गलती के रूप में मानने का मामला नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि श्री.

ऐसा प्रतीत होता है कि पी. श्री राम मूर्ति ने 28.5.2018 पर दूसरे उत्तरदाता को दिनांकित 11.5.2018 के पहले उत्तरदाता के समर्थन के खिलाफ अपील दायर की है। यह भी याचिकाकर्ता के प्रबंधन की जानकारी के बिना था।

एसएसटीटी। कॉमर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ ने कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को इन घटनाओं के बारे में तब तक जानकारी नहीं थी जब तक कि श्री पी. श्री राम मूर्ति के कुकर्मों की जांच नहीं की जा रही थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री पी. श्री राम मूर्ति ने वास्तव में, 12.9.2017 (Ex. पी-6)। यह भुगतान जून, 2014 के लिए विविध कर भुगतान के रूप में किया गया था। जब याचिकाकर्ता इस बारे में सुलह करने की कोशिश कर रहा था कि यह राशि कैसे जमा की गई थी और किस खाते के तहत यह पता चला कि यह एक विकल्प को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से है

विवादित आदेश के खिलाफ अपील करें। यह सब सत्यापन श्री पी. श्री राम मूर्ति के निलंबन के बाद हुआ।

14. याचिकाकर्ता ने इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए, वैट अधिनियम की धारा 31 के तहत 24.9.2018 पर इस प्रामाणिक विश्वास पर अपील दायर की कि देरी को माफ करने के लिए अच्छे आधार हैं क्योंकि याचिकाकर्ता अपने किसी एक कर्मचारी द्वारा की गई त्रुटियों के लिए पीड़ित नहीं हो सकता है।

15. यह प्रस्तुत किया जाता है कि द्वितीय प्रत्यर्थी, आदेश के अनुसार, दिनांकित

25.10.2018 (Ex. पी-7) ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि उनके पास 30 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। उक्त आदेश में यह भी देखा गया है कि समर्थन के खिलाफ अपील भी उनके द्वारा 17.8.2018 पर खारिज कर दी गई थी। हालांकि, आदेश की प्रति अभी तक याचिकाकर्ता को नहीं दी गई है। दूसरे उत्तरदाता ने कहा कि याचिकाकर्ता 22.6.2017 पर मूल्यांकन आदेश की सेवा पर विवाद नहीं कर सकता है और 60 दिनों के भीतर अपील दायर करने में विफलता का मतलब होगा कि मूल्यांकन आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है।

16. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि विशाखापत्तनम में एपीवीएटी अपीलीय न्यायाधिकरण में आगे की अपील दायर करना एक व्यर्थ की कवायद है, क्योंकि अधिनियम के तहत एक प्राणी के रूप में, न्यायाधिकरण 30 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं करने के लिए दूसरे प्रतिवादी के साथ दोष नहीं पा सकता है।

17. याचिकाकर्ता ने समय के प्रवाह से अपीलीय उपचार खो दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता को बिना उपचार के छोड़ दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि इस माननीय न्यायालय की एक पूर्ण पीठ

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रिट याचिका संख्या। 9482 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत इसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए 2017 का 9485 और 2017 का 9485 ने कहा कि भले ही अधिनियम के तहत अपील का समय समाप्त हो गया हो, यह निर्धारिती को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका को प्राथमिकता देने से नहीं रोकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. उच्च न्यायालय ने अंत में विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि समय सीमा समाप्त होने के कारण प्रतिवादी (रिट याचिकाकर्ता) के लिए वैधानिक उपाय अप्रभावी हो गया था मूल्यांकन आदेश की सेवा की तारीख से 60 दिनों की अवधि। चूंकि, अपीलीय प्राधिकरण के पास 60 दिनों की समाप्ति के बाद देरी को माफ करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसके बावजूद कि प्रत्यर्थी द्वारा कमीशन के कार्य और इसके कार्य में चूक के कारण एक असाधारण स्थिति का उल्लेख किया गया था।

कर्मचारी जो कर मामलों का प्रभारी था, प्रबंधन को उसे निलंबित करने और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर करता था। मूल्यांकन आदेश के बारे में पता चलने के तुरंत बाद, प्रतिवादी ने अपील दायर की थी, लेकिन वह 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद थी। उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा सेवा में लगाए गए इस तर्क से भी प्रभावित था कि उसे सी. एस. टी. विवरणी में बताए गए मूल्य और कारोबार से संबंधित प्रपत्र "एफ" में दर्शाई गई राशि के बीच विसंगतियों के बारे में प्राधिकरण (सहायक आयुक्त) को समझाने का एक अवसर दिया जाना चाहिए। आक्षेपित आदेश से जिस अतिरिक्त कारण का पता लगाया जा सकता है, वह यह है कि प्रत्यर्थी पहले ही एक पहले के आदेश के संदर्भ में विवादित कर राशि के 12.5% के बराबर अतिरिक्त राशि। हम आक्षेपित को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं।

उच्च न्यायालय का आदेश। वही इस प्रकार पढ़ता हैः -

.....

उपरोक्त रिट याचिका के साथ आया है। याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कारण यह है कि एक कर्मचारी जो प्रभारी था, जबरन वसूली में लिप्त था

प्रबंधन उसे निलंबित करने और अनुशासन शुरू करने के लिए

कार्यवाही। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें इन आदेशों की जानकारी नहीं थी। इसलिए, याचिकाकर्ता एक अवसर चाहता है।

याचिकाकर्ता द्वारा एक अवसर मांगने का कारण यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए 'एफ' फॉर्म को खारिज कर दिया गया था।

निर्धारण अधिकारी, इस आधार पर कि शाखा कार्यालय में हस्तांतरित माल के मूल्य का 'एफ' प्रपत्रों में खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन याचिकाकर्ता का दावा है कि मूल्य की गलत सूचना दी गई थी सी. एस. टी. रिटर्न में और 'एफ' फॉर्म एस. एस. टी. टी. में दर्शाई गई राशि।

सीएमआर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ ने कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अजीबोगरीब परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को अवसर देते हुए भी, हम उन्हें शर्त पर रखना चाहते थे। इसलिए, 8.11.2018 पर हमने निम्नलिखित को एक अंतरिम आदेश पारित कियाः प्रभाव,

" यह याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एस. द्वारकानाथ द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है कि याचिकाकर्ता पहले ही एक अपील दायर करने के उद्देश्य से विवादित कर का 12.5% का भुगतान कर चुका है।

लेकिन, कर्मचारी, जो प्रभारी था और जो था

बाद में, अनुशासन के विचार में निलंबित कर दिया गया

कार्यवाही, अपील दायर करने में विफल रही। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि मुद्दा एक में निहित है

संकीर्ण परिसर।

चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही विवादित कर का 12.5% का भुगतान कर चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता के एक और अवसर देने के अनुरोध पर अनुकूल विचार किया जाएगा, यदि याचिकाकर्ता विवादित कर के 12.5% के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करता है।

कर। याचिकाकर्ता इस तरह का भुगतान एक अवधि के भीतर करेगा

एक सप्ताह।

ऑर्डर के लिए 19.11.2018 पर पोस्ट करें।

उपरोक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने भुगतान किया

रुपये. 9,59,190/-, वर्ष के लिए करों के 12.5% का प्रतिनिधित्व करता है।

इसलिए, रिट याचिका का आदेश दिया जाता है, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को पहले प्रतिवादी को वापस भेज दिया जाता है। याचिकाकर्ता 10.12.2018 पर प्रथम प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होगा और विसंगतियों की व्याख्या करेगा। ऐसी व्यक्तिगत सुनवाई के बाद,

1 उत्तरदाता नए सिरे से आदेश पारित कर सकता है।

अगली कड़ी के रूप में, लंबित विविध याचिकाएं, यदि कोई हों, तो

बंद हो जाओ। कोई लागत नहीं। "

11. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, केंद्रीय प्रश्न हैः क्या

उच्च न्यायालय को द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करना चाहिए था

नहीं? जहां तक उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्देश, अनुच्छेदों या रिट जारी करने की शक्ति का संबंध है।भारत का शीर्षक, वही अब रेज़ इंटीग्रा नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य द्वारा पारित/की गई कार्रवाई, निश्चित रूप से ऐसा तब नहीं करना चाहिए जब पीड़ित व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित तरीके से एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाया जा सकता था (देखें बाबूराम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम.

अन्तरम जिला परिषद अब जिला परिषद, मुजफ्फरनगर 3 और निवेदिता शर्मा बनाम सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य।) . थानसिंह नथमल और ओआरएस में। बनाम। इस न्यायालय की कर अधीक्षक, धुबरी और संविधान पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन न्यायालय को स्वयं लगाए गए प्रतिबंध का प्रयोग करना चाहिए और रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है। पैराग्राफ 7 में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः -

" 7. आयुक्त के आदेश के विरुद्ध संदर्भ के लिए एक आदेश

दावा किया जा सकता था यदि अपीलार्थी संतुष्ट करते हैं आयुक्त या उच्च न्यायालय कि कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ

आदेश से। लेकिन उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए अधिनियम द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया, अपीलकर्ताओं ने प्रांतीय की क्षमता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

बिक्री की अवधारणा का विस्तार करने के लिए विधानमंडल, और आह्वान किया अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता और

केवल इसलिए कि ऐसा करना विधिसम्मत है। अधिकार क्षेत्र के विस्तार की मांग है कि इसका उपयोग आम तौर पर कुछ स्व-थोपी गई सीमाओं के अधीन किया जाएगा। इसका सहारा लें अधिकारिता एक वैकल्पिक उपाय के रूप में अभिप्रेत नहीं है

राहत जो सूट या अन्य तरीके से प्राप्त की जा सकती है कानून द्वारा निर्धारित। आम तौर पर न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट के लिए याचिका पर विचार नहीं करेगा, जहां याचिकाकर्ता के पास एक वैकल्पिक उपाय है, जो अनुचित होने के बिना है।

8 ए. आई. आर 1969 एस. सी. 556 9 (2011) 14 एस. सी. सी. 337

10 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1419 एस. एस. टी.

कॉमर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ ने कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कठिन, एक समान रूप से प्रभावी उपचार प्रदान करता है। एक बार फिर उच्च न्यायालय आम तौर पर एक निर्धारण पर प्रवेश नहीं करता है

ऐसे प्रश्न जो साक्ष्य की विस्तृत जांच की मांग करते हैं

कानून द्वारा प्रदान किए गए एक वैकल्पिक उपाय पर खाई राहत मिलती है। जहाँ यह पीड़ित याचिकाकर्ता के लिए खुला है

किसी अन्य न्यायाधिकरण में जाने के लिए, या खुद भी किसी अन्य न्यायाधिकरण में जाने के लिए

प्रदान किए गए तरीके से निवारण प्राप्त करने के लिए अधिकार क्षेत्र

एक कानून द्वारा, उच्च न्यायालय आम तौर पर इसकी अनुमति नहीं देगा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार करना

कानून के तहत बनाई गई मशीनरी को दरकिनार किया जाना है,

और उस पर आवेदन करने वाले पक्ष को सहारा लेने के लिए छोड़ देगा इस तरह से यंत्र स्थापित करें "।

(जोर दिया गया)

हम उपयोगी रूप से टीटाघुर में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण का उल्लेख कर सकते हैं।

आर मिल्स कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य "। , वह कहाँ है?

ved कि जहाँ एक कानून द्वारा एक अधिकार या दायित्व बनाया जाता है, जो

इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय, उसके द्वारा प्रदान किया गया उपाय

ई का लाभ केवल उठाया जाना चाहिए। पैराग्राफ 11 में अदालत ने कहा कि

“ 11. अधिनियम की योजना के तहत, अधिकारियों का एक पदानुक्रम है जिसके समक्ष याचिकाकर्ता शिकायत किए गए गलत कार्यों के खिलाफ पर्याप्त निवारण प्राप्त कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार है। यदि याचिकाकर्ता अपील में निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो वे अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (3) के तहत न्यायाधिकरण में आगे की अपील कर सकते हैं, और फिर अधिनियम की धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय की राय के लिए कानून के प्रश्न पर मामला बताने के लिए कह सकते हैं। अधिनियम एक आदेश को चुनौती देने के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रदान करता है

निर्धारण और निर्धारण के विवादित आदेशों को केवल अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से चुनौती दी जा सकती है न कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका द्वारा। यह है।

अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि जहां एक अधिकार या दायित्व बनाया गया है

एक कानून द्वारा जो इसे लागू करने के लिए एक विशेष उपाय देता है,

उस कानून द्वारा प्रदान किए गए उपचार का ही लाभ उठाया जाना चाहिए।

से। इस नियम को विल्स, जे द्वारा बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया था।

वोल्वरहैम्प्टन न्यू वाटरवर्क्स कं. बनाम। हॉक्सफोर्ड [(1859)

6 सी. बी. एन. एस. 336,356] निम्नलिखित अंश में हैः

तीन प्रकार के मामले हैं जिनमें देयता हो सकती है - कानून पर स्थापित। लेकिन एक तीसरा वर्ग है,

अर्थात्। जहाँ एक देयता जो सामान्य कानून में मौजूद नहीं है, द्वारा बनाई गई है

एक कानून जो एक ही समय में एक विशेष और विशेष देता है

इसे लागू करने का उपाय। कानून द्वारा प्रदान किया गया उपाय इसका पालन किया जाना चाहिए, और यह पार्टी के लिए आगे बढ़ने के लिए सक्षम नहीं है

द्वितीय श्रेणी के मामलों में लागू पाठ्यक्रम। इसका रूप

कानून द्वारा दिए गए नियमों को अपनाया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए।

इस परिच्छेद में निर्धारित नियम को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था नेविल बनाम में लॉर्ड्स। लंदन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड (1919 ए. सी.

368) और प्रिवी काउंसिल इन अटॉर्नी द्वारा पुनः पुष्टि की गई है

त्रिनिदाद और टोबैगो के जनरल बनाम। गॉर्डन ग्रांट एंड कंपनी

लिमिटेड (1935 ए. सी. 532) और राज्य सचिव बनाम। मास्क एंड कंपनी (एयर)

1940 पीसी 105)। इसे भी समान रूप से लागू माना गया है

अधिकारों का प्रवर्तन, और इस न्यायालय द्वारा इसका पालन किया गया है सब जगह। इसलिए उच्च न्यायालय को खारिज करना उचित था

सीमित में रिट याचिकाएँ "।

(जोर दिया गया)

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य में बाद के निर्णय में।

बनाम भारत संघ और Ors.[1]2, इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि कोई अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के तहत उपचार को रोक और कम नहीं कर सकता है। हालाँकि, न्यायालय ने सावधानी का एक शब्द जोड़ा और स्पष्ट किया कि संवैधानिक न्यायालय निश्चित रूप से अधिनियम के प्रावधानों में प्रकट विधायी इरादे पर ध्यान देगा और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। इसे अलग तरह से रखने के लिए, तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक अधिकार क्षेत्र है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक क़ानून के मूल प्रावधानों की अवहेलना कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिनका निपटारा केवल एक कानून के माध्यम से किया जा सकता है।

कानून द्वारा निर्धारित तंत्र। 12 (1997) 5 एससीसी 536 ASSTT.COMMR।

(सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

12. निस्संदेह, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां व्यापक हैं, लेकिन निश्चित रूप से पूर्ण शक्तियों से व्यापक नहीं हैं

इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदान किया गया। अनुच्छेद 142 पक्षकारों को पूर्ण न्याय देने के लिए संविधान के तहत संपूर्ण न्यायिक शक्तियों का एक समूह और भंडार है। उस शक्ति का प्रयोग करते समय भी, इस न्यायालय को विधायी इरादे को ध्यान में रखना आवश्यक है न कि वैधानिक प्रावधान को अनुचित बनाना। तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के हाल के एक फैसले में

निगम लिमिटेड बनाम गुजरात ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड और Ors.[1]3, इस न्यायालय के समक्ष दायर वैधानिक अपील को 71 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के संदर्भ में देरी को माफ करने के लिए अधिकतम समय सीमा केवल 60 दिन थी। दूसरे शब्दों में, अपील 60 दिनों की क्षम्य अवधि से परे प्रस्तुत की गई थी। नतीजतन, यह न्यायालय 71 दिनों की देरी को माफ नहीं कर सकता था। विशेष रूप से, अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया था। हालाँकि, अपील की अंतिम सुनवाई में, अपील को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने के संबंध में एक आपत्ति को अनुमति दी गई थी

यह एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है और उक्त आपत्ति पर विचार करते हुए न्यायालय ने सिंह एंटरप्राइजेज बनाम सिंह एंटरप्राइजेज बनाम सिंह एंटरप्राइजेज बनाम

14 (2008) 3 एससीसी 70

15 (2009) 5 एस. सी. सी. 791

16 (2010) 5 एससीसी 23

17 (2016) 16 एससीसी 152 [2020] 4 एस. सी. आर.

एक किया जाना है। इस तर्क पर विचार किया गया है और स्पष्ट रूप से

निम्नलिखित शब्दों में: -

2. ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक (1988) 2 एस. सी. सी. 602, जबकि

अनुच्छेद 142 के तहत सिद्धांतों की व्याख्या और विस्तार करना,

अब्यसाची मुखर्जी, जे. (उस समय उनके स्वामी के रूप में) ने इस प्रकार राय दी:

सी. सी पी. 656 , पैरा 50)

" 50. ..... यह तथ्य कि नियम विवेकाधीन था, नहीं बदला। स्थिति। यद्यपि अनुच्छेद 142 (1) सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाता है।

न्यायालय के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने के लिए

पक्षकार, न्यायालय इसके साथ असंगत आदेश नहीं दे सकता है

संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार।

अनुच्छेद 142 (1) और अनुच्छेद के बीच विसंगति का कोई सवाल ही नहीं है।

32 उठ खड़ा हुआ। गजेंद्रगडकर, जे., बोल रहे हैं [प्रेम चंद]

गर्ग बनाम. आबकारी आयुक्त। , ए. आई. आर 1963 एस. सी. 996] बहुमत के लिए

इस न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि अनुच्छेद 142 (1) ने ऐसा नहीं किया

इस न्यायालय को प्रावधानों का उल्लंघन करने की कोई शक्ति प्रदान करें।

संविधान का अनुच्छेद 32। न ही अनुच्छेद 145 ने प्रदान किया था

इस न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति, इसे सशक्त बनाने के लिए

मौलिक अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। आकाशवाणी में

पीपी। 1002-03 , पैरा 12 एस. सी. आर पी. 899 रिपोर्ट में,

गजेंद्रगडकर, जे. ने दोहराया कि इस न्यायालय की शक्तियाँ

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे बहुत व्यापक हैं और उनका इरादा है और वे हमेशा रहेंगे।

न्याय के हित में प्रयोग किया जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि

संविधान। इस बात पर जोर दिया गया कि एक आदेश जो इस न्यायालय ने दिया था के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए कर सकते हैं

पक्षों को केवल मौलिक के अनुरूप नहीं होना चाहिए

प्रासंगिक वैधानिक कानून। इसलिए अदालत ने कहा कि यह मानना संभव नहीं है कि अनुच्छेद 142 (1) ने इसे प्रदान किया है।

अदालती शक्तियाँ जो अनुच्छेद के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकती हैं

32. "

(मूल में जोर)

3. उक्त निर्णय को एक संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट किया गया है

यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन। वी. भारत संघ, (1991) 4 एस. सी. सी. 584, एस. एस. टी. टी.

कॉमर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ ने कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जिसमें एम. एन. वेंकटचलैया, जे. (उनके प्रभु के रूप में तब थे)

बहुमत के लिए बोलते हुए, फैसला सुनाया किः (एससीसी पीपी। 634-35 , पैरा 83)

" 83. इस न्यायालय की शक्तियों के दायरे को छूते हुए तर्कों में कुछ गलत धारणाओं को दूर करना आवश्यक है।

संविधान का अनुच्छेद 142 (1)। ये गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले हैं। यह प्रस्ताव कि किसी भी सामान्य कानून में एक प्रावधान, सार्वजनिक नीति के महत्व के बावजूद, जिस पर यह स्थापित किया गया है, अनुच्छेद 142 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने के लिए काम करता है, अनुचित और गलत है। दोनों में प्रेम चंद गर्ग बनाम। आबकारी आयुक्त। , ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 996, साथ ही ए. आर. अंतुले बनाम। आर. एस. नायक, (1988) 2 एस. सी. सी. 602, मामले संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का एक मुद्दा था। वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगतता के प्रभाव के बारे में टिप्पणियां उन मामलों में वास्तव में अनावश्यक थीं क्योंकि निर्णय

अंतिम विश्लेषण में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की बात सामने आई। हम श्री नरीमन से सहमत हैं कि अनुच्छेद 142 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अदालत की शक्ति है

संबंधित धारा 320 या 321 या 482 दंड प्रक्रिया संहिता या उन सभी को एक साथ रखने से समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर पर और एक अलग गुणवत्ता की है। सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान, वास्तव में, अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। कानूनों में इस तरह के निषेध या सीमाएं किसी विशेष कानून की योजना को मूर्त रूप दे सकती हैं और प्रतिबिंबित कर सकती हैं, जो प्राधिकरण या अदालत की प्रकृति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए हो सकती हैं, जिस पर कुछ उचित तरीके से सीमित शक्तियों को प्रदान करने पर विचार किया जाता है। सीमाएँ आवश्यक रूप से सार्वजनिक नीति के किसी भी मौलिक विचार को प्रतिबिंबित या आधारित नहीं हो सकती हैं। श्री सोराबजी, विद्वान महान्यायवादी, गर्ग मामले [प्रेम चंद गर्ग बनाम। आबकारी आयुक्त। , ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 996] ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों पर सीमाएँ

" मूल कानून के व्यक्त वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगतता का वास्तव में अर्थ होना चाहिए और कुछ व्यक्त के रूप में समझा जाना चाहिए।

किसी भी मूल वैधानिक कानून में निहित निषेध। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि "प्रावधान" के स्थान पर "निषेध" अभिव्यक्ति को पढ़ा जाता है तो शायद यह उचित विचार व्यक्त करेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि इस तरह के निषेध को सार्वजनिक नीति के कुछ अंतर्निहित मौलिक और सामान्य मुद्दों पर आधारित भी दिखाया जाना चाहिए, न कि केवल एक विशेष वैधानिक [2020] 4 एस. सी. आर. के लिए आकस्मिक।

वैधानिक निषेध। यह इस विचार को व्यक्त करेगा कि सांविधिक प्रावधान एक सांविधिक प्रावधान पर हावी होते हैं।

अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग और मूल्यांकन में किसी कारण या मामले के "पूर्ण न्याय" की आवश्यकताएँ, शीर्ष

न्यायालय किसी भी मामले में स्पष्ट प्रतिबंधों पर ध्यान देगा।

कुछ बुनियादी बातों पर आधारित मूल वैधानिक प्रावधान

सार्वजनिक नीति के सिद्धांत और इसके अभ्यास को विनियमित करना

तदनुसार शक्ति और विवेक। प्रस्ताव नहीं है

अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है, लेकिन केवल

किसी कारण या मामले का "पूर्ण न्याय" क्या है या क्या नहीं है और

शक्ति के प्रयोग के औचित्य का अंतिम विश्लेषण। नहीं। अधिकार क्षेत्र की कमी या शून्यता का सवाल उठ सकता है।

(मूल में जोर)

14. इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय में एक और संविधान पीठ

इश. वी. भारत संघ, (1998) 4 एस. सी. सी. 409] ने राय दीः (एससीसी पीपी। 437

आरा 56)

" 56. वास्तव में, जिन टिप्पणियों पर जोर दिया जाता है

यूनियन कार्बाइड मामले से हमारे द्वारा रखा गया है [संघ]

कार्बाइड कॉर्प. वी. भारत संघ (1991) 4 एस. सी. सी. 584], ए. आर.

अंतुले मामला [ए. आर. अंतुले बनाम। आर. एस. नायक, (1988) 2 एससीसी

602] और दिल्ली न्यायिक सेवा संघ। वी. गुजरात राज्य,

(1991) 4 एस. सी. सी. 406, यह दिखाने के लिए जाएँ कि वे सख्ती से नहीं करते हैं

बोलने की टिप्पणियों के साथ किसी भी संघर्ष में आता है

प्रेम चंद गर्ग मामले में बहुमत [प्रेम चंद] गर्ग बनाम. आबकारी आयुक्त। , ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 996] यह एक बात है कि

कहते हैं कि "कानून में प्रतिबंध या सीमाएँ" नहीं आ सकती हैं

करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के तरीके में

लंबित मामले में पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय या

कहते हैं कि अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय एक के मूल प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है

कानून, विषय से संबंधित और संबंधित आदेश पारित करता है

एक ऐसा मुद्दा जिसे केवल एक तंत्र के माध्यम से हल किया जा सकता है

एक अन्य कानून में निर्धारित। इस न्यायालय ने संघ में ऐसा नहीं कहा था

कार्बाइड मामला [यूनियन कार्बाइड कॉर्प. वी. भारत संघ, एस. एस. टी. टी.

कॉमर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ ने कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(1991) 4 एस. सी. सी. 584] या तो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ और

इसके विपरीत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय लेगा

किसी भी मूल वैधानिक के स्पष्ट प्रावधानों का नोट

कानून बनाना और अपनी शक्ति और विवेक के प्रयोग को विनियमित करना

तदनुसार "।

(मूल में जोर)

कॉर्प. वी. भारत संघ, (1991) 4 एस. सी. सी. 584] प्रेम चंद गर्ग बनाम में निर्धारित सिद्धांत के साथ। आबकारी आयुक्त। , ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 996। यह ध्यान दिया जाए कि जब सीमा के संबंध में कानून द्वारा एक वैधानिक आदेश है और यह अभिधारणा है कि देरी को साठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए माफ नहीं किया जा सकता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सार्वजनिक नीति के कुछ रेखांकित, मौलिक, सामान्य मुद्दों पर आधारित है जैसा कि यूनियन कार्बाइड कॉर्प में आयोजित किया गया है। मामला [यूनियन कार्बाइड कॉर्प. वी. भारत संघ, (1991) 4 एस. सी. सी. 584]। छत्तीसगढ़ में घोषणा के रूप में एस. ई. बी. v. केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग, (2010) 5 एस. सी. सी. 23, स्पष्ट रूप से बताता है कि एक विशेष न्यायनिर्णायक मंच के गठन पर जोर देने वाली अधिनियम के पीछे की नीति का उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायतों का शीघ्रता से निर्णय करना है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश या किसी उपयुक्त आयोग द्वारा व्यथित हो सकता है। यह अधिनियम अधिनियम की धारा 29 (2) के अर्थ में एक विशेष विधान है।

सीमा अधिनियम और इसलिए, सीमा के संबंध में निर्देश बाध्यकारी प्रभाव होना चाहिए और इसकी अनिवार्य प्रकृति के संबंध में इसका पालन किया जाना चाहिए। इसे एक अलग तरीके से रखने के लिए, के मामले में सीमा का निर्देश

वर्तमान प्रकृति, जब क़ानून आदेश देता है कि यह न्यायालय

60 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है, यह कानून के प्रावधानों और नीति के दायरे में आएगा। यह सीमा की धारा 3 के बराबर है। एक्ट करें। इसलिए, यह अस्वीकार्य है और इसे संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए माफ नहीं किया जा सकता है।

20] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. हमने पहले कहा था कि हम मार्ग की ओर रुख करेंगे।

सीमा अधिनियम। यह मूल रूप से एम. पी. स्टील पर निर्भर था। कॉर्प. वी. सी. सी. ई., (2015) 7 एस. सी. सी. 58, जिसमें न्यायालय ने कुछ अधिकारियों को संदर्भित करने के बाद इस प्रकार विश्लेषण कियाः (एम. पी. स्टील कार्पोरेशन मामला),

एस. सी. सी पी. 91 , पैरा 43)

संबंधित कानून घोषित अवधि बनी हुई है और बताई गई अवधि से अधिक नहीं है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धारा 14 का सिद्धांत, जो न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने पर आधारित एक सिद्धांत है, निश्चित रूप से उन कार्यवाहियों पर मुकदमा चलाने में लिए गए समय को बाहर करने के लिए लागू होगा जो ईमानदारी से और उचित परिश्रम के साथ की जाती हैं, जो अंततः किसी निर्णय के बिना समाप्त हो जाती हैं।
मामले के गुण।

(इटैलिक में जोर-मूल में, और बोल्ड में-आपूर्ति की गई)

इसी तरह, राज्य बनाम मुश्ताक अहमद और Ors.[1]8 मामले में, इस अदालत ने राय दी कि जहां किसी अपराध के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है, तो कोई अदालत नहीं है।

कम करने वाले कारकों के आधार पर कम सजा दी जा सकती है।

14. एक प्राथमिकता के रूप में, हमें यह विचार रखने में कोई संकोच नहीं है कि यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करके क्या नहीं कर सकता है।

15. अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ऊपर) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर लौट सकते हैं। जिसने पनोली इंटरमीडिएट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए विचार को अपनाया था। लिमिटेड बनाम। फीनिक्स प्लास्ट्स कंपनी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील-I), बैंगलोर में भारत संघ और कर्नाटक उच्च न्यायालय। इन निर्णयों में लागू तर्क गलत है।

18 (2016) 1 एस. सी. सी. 325

आकाशवाणी 2015 गुजरात 97

20 2013 (298) ई. एल. टी. 481 (कर.)

ASSTT.COMMR। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आधार। क्योंकि, ये निर्णय इस तर्क पर आधारित हैं कि 1995 के अधिनियम की धारा 31 जैसे प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कम नहीं कर सकते हैं। यह तरीका गलत है। यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीनने का मामला नहीं है। किसी मामले में, निर्धारिती रिट याचिका के माध्यम से मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने के लिए अपील की वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है, इस आधार पर कि यह अधिकार क्षेत्र के बिना है या अधिकार क्षेत्र से अधिक पारित किया गया है-कानून और प्रक्रिया के नियमों की घोर अवहेलना सहित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को पार करके या पार करके या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करके, जहां कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है। उच्च न्यायालय ऐसी चुनौती को स्वीकार कर सकता है और याचिकाकर्ता को इस आधार पर गैर-मुकदमा भी कर सकता है कि वैकल्पिक

प्रभावी उपचार उपलब्ध है और जिसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा लागू किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि रिट याचिकाकर्ता 60 दिनों की अधिकतम सीमा अवधि की समाप्ति के बाद उच्च न्यायालय का रुख करने का विकल्प चुनता है।

2005 अधिनियम की धारा 31, उच्च न्यायालय वैधानिक की अवहेलना नहीं कर सकता है।

शिकायत के निवारण और निश्चित रूप से ऐसे पक्ष की रिट याचिका पर विचार करने की अवधि। ऐसा करना तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के सिद्धांत के अंतर्गत होगा। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि उच्च न्यायालय के पास व्यापक शक्तियां हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक रिट जारी करेगा जो धारा 31 के तहत स्पष्ट रूप से निर्धारित व्यवस्था के संबंध में विधायी इरादे से असंगत हो सकता है।

2005 एक्ट करें। यह उक्त प्रावधान के पीछे की विधायी योजना और इरादे को अनुचित बना देगा। 16. प्रत्यर्थी ने के. एस. राशिद एंड सन बनाम आयकर जांच आयोग 2 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था। यह

संविधान पीठ का निर्णय, निस्संदेह, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति की सीमा और उस स्थिति से संबंधित है जब उच्च न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, जैसे कि जब पीड़ित पक्ष के लिए वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध हो। हालाँकि, इस निर्णय के पैराग्राफ 4 (अंतिम पैराग्राफ) में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस सवाल पर कोई अंतिम राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं था कि क्या आय (जांच आयोग) अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम XXX) की धारा 8 (5) को पीड़ित पक्ष को उपलब्ध एकमात्र उपाय प्रदान करने के रूप में माना जाना है और यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किए गए उपचार को पूरी तरह से बाहर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता के पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 के तहत अपील के माध्यम से पर्याप्त वैकल्पिक उपाय था। स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय को खुशी हुई उच्च न्यायालय की उस राय को बनाए रखना। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा उसमें व्यक्त की गई कठिनाई पर विचार करते हुए कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपील का वैधानिक उपचार अब समय से वर्जित हो गया था, न्यायालय ने उसमें याचिकाकर्ता को वैधानिक अपील के उपचार का सहारा लेने की अनुमति दी और अपीलीय प्राधिकरण को गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। यह स्पष्ट रूप से राजस्व की ओर से पेश वकील द्वारा दी गई रियायत के आधार पर किया गया था जैसा कि आदेश के पैराग्राफ 2 (1) में उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैः -

" 2. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि केंद्रीय कानून की धारा 35 के तहत अपील के माध्यम से पर्याप्त वैकल्पिक उपाय है।

आबकारी अधिनियम। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को इस उपाय को आगे बढ़ाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगाः

मूल्यांकन आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपील दायर की जानी है और अधिनियम की धारा 35 के तहत कलेक्टर द्वारा केवल तीन और महीने की सीमा तक देरी को माफ किया जा सकता है। यह इंगित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपील दायर नहीं की क्योंकि मद्रास में कलेक्टर (अपील) ने इसी तरह के मामले में विचार लिया था कि एक अपील विचारणीय नहीं थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने भारी मांग को देखते हुए एक रिट याचिका दायर की और इसलिए एक याचिका दायर नहीं की।
अपील करें। मामले की परिस्थितियों में, हमारी राय है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि हम याचिकाकर्ता को देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ आज से एक महीने के भीतर विलंबित अपील दायर करने की अनुमति देते हैं, जिस पर अपील पर विचार किया जा सकता है। राजस्व के लिए विद्वान वकील ने

हमारे समक्ष कहा गया है कि राजस्व इस आधार पर अपील के मनोरंजन पर आपत्ति नहीं करेगा कि यह है

समय द्वारा प्रतिबंधित। इस दिशा और रियायत को देखते हुए,

22 (1998) 8 एससीसी 610 ASSTT.COMMR।

(सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

याचिकाकर्ता के पास एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय होगा

एक अपील के माध्यम से।

(जोर दिया गया)

उस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका दायर की गई थी

निर्धारिती (अपीलार्थी) द्वारा अच्छी भावना से वैधानिक अवधि और कानूनी उपचार का अनुसरण किया जा रहा था।

18. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि यह निर्णय उसके तथ्यों पर आधारित है।

मामला और इस तर्क के समर्थन में एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय मूल्यांकन पर जोर देने वाली रिट याचिका पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है आदेश भले ही अपील दायर करने में अधिकतम 60 दिनों की वैधानिक अवधि से परे दायर किया गया हो। अपील का उपचार कानून की रचना है। यदि अपील निर्धारिती द्वारा 2005 के अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में 60 दिनों की विस्तारित वैधानिक सीमा अवधि से परे प्रस्तुत की जाती है और इसलिए, उस पर विचार नहीं किया जाता है, तो यह समझ से बाहर है कि यह कैसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला बन जाएगा, बहुत कम वैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में।

इस तरह।

19. तर्क से, वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर लौटते हुए,

यह देखा गया है कि प्रत्यर्थी ने जोर देकर कहा था कि उसे दिनांकित 21.6.2017 के मूल्यांकन आदेश के पारित होने के बारे में जानकारी नहीं थी, हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि यह आदेश प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को 22.6.2017 पर दिया गया था। जिस तारीख को प्रत्यर्थी को आदेश के बारे में पता चला, वह तारीख अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर देरी को माफ करने के आवेदन में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। उक्त आवेदन के समर्थन में या उस मामले के लिए रिट याचिका के ज्ञापन में दायर किया गया। दूसरी ओर, यह देखा गया है कि 2005 के अधिनियम की धारा 31 के तहत निर्धारित अधिकतम 60 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद, कर राशि के 12.5% के बराबर राशि प्रत्यर्थी के लिए और उसकी ओर से, अपील दायर किए बिना और बिना किसी आपत्ति के 12.9.2017 पर जमा की गई। इतना ही नहीं, प्रत्यर्थी ने 8.5.2018 पर 2005 के नियमों के नियम 60 के तहत एक औपचारिक आवेदन दायर किया और अपील में उसी का पीछा किया, जिसे 17.8.2018 पर खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, मूल्यांकन आदेश के खिलाफ विचाराधीन अपील केवल 24.9.2018 पर दायर की गई, जिसमें उस तारीख का खुलासा नहीं किया गया था जिस दिन प्रतिवादी को वास्तव में दिनांकित 21.6.2017 के मूल्यांकन आदेश के अस्तित्व के बारे में पता चला था। दूसरी ओर, प्रतिवादी कंपनी के साइट निदेशक श्री श्रीधर रौथ के हलफनामे में (अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष देरी की माफी के लिए आवेदन

के समर्थन में दायर), यह कहा गया है कि कंपनी को की गई अनियमितताओं के बारे में पता चला [2020] 4 एस. सी. आर.

जुलाई, 2018 के महीने में अपने गलती करने वाले अधिकारी (श्री पी. श्रीराम मूर्ति) द्वारा, जो पूर्व-मान लेता है कि प्रत्यर्थी को कम से कम जुलाई, 2018 में मूल्यांकन आदेश के बारे में पता चल गया होगा। उसी हलफनामे में, यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी कंपनी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी मूल्यांकन आदेश, क्योंकि संबंधित कर्मचारी द्वारा उसकी लापरवाही के कारण इसे उसके संज्ञान में नहीं लाया गया था। रिट याचिका में प्रत्यर्थी ने प्रतिवाद किया है कि अपील प्राधिकरण द्वारा अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसके पास 30 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी, जबकि वास्तव में, आदेश प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित कारण की जांच करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वही प्रत्यर्थी द्वारा अप्रमाणित था। उस निष्कर्ष की उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में बिल्कुल भी जांच नहीं की गई है, लेकिन उच्च न्यायालय इस तथ्य से अधिक प्रभावित था कि प्रतिवादी कारोबार की मात्रा के संबंध में विसंगतियों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देने की स्थिति में था और यह कि प्रतिवादी पहले ही अतिरिक्त राशि का 12.5% जमा कर चुका था।

उसके द्वारा पारित पिछले आदेश की शर्तें। उस कारण का वैधानिक अवधि के भीतर अपील दायर न करने के औचित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। विशेष रूप से, प्रतिवादी ने साइट निदेशक के हलफनामे पर भरोसा किया था और संबंधित कर्मचारी (पी. श्रीराम मूर्ति, डिप्टी) के किसी भी हलफनामे पर भरोसा नहीं किया था। प्रबंधक-वित्त) या कम से कम अन्य कर्मचारी [सिद्धांत बेलगांवकर, वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)], जो संबंधित अवधि के दौरान गलती करने वाले कर्मचारी के साथ जुड़े थे, को देरी की माफी के लिए आवेदन में लिए गए रुख के समर्थन में दायर किया गया है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन या किसी भी तरह से वैधानिक आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन का मामला था। जो भी हो, क्योंकि अपील दायर करने के लिए निर्दिष्ट वैधानिक अवधि अगस्त, 2017 में ही बहुत पहले समाप्त हो गई थी और प्रतिवादी द्वारा अपील केवल 24.9.2018 पर दायर की गई थी।

निर्धारित समय के भीतर अपील दायर करने में असमर्थता के बारे में याचिका की पुष्टि करते हुए, प्रतिवादी को कोई अनुग्रह नहीं दिखाया जा सका।

20. इस तर्क पर लौटते हुए कि प्रत्यर्थी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर हमला करने में विफल रहा, दिनांक आई. डी. 2 ने देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया, सहायक आयुक्त द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश, दिनांक आई. डी. 1 का विलय हो गया, राजा मैकेनिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-123 में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण को देखते हुए हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि द्वारा विलंब आवेदन की अस्वीकृति

23 (2012) 12 एससीसी 613 एसटीटी।

कॉमर। (सी. टी.) एल. टी. यू. काकीनाडा बनाम। एम/एस। ग्लैक्सो स्मिथ 637 ई उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मूल्यांकन आदेश ए के विलय में अपीलीय मंच शामिल नहीं है।

आदेश पर।21. इसलिए मामले के किसी भी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को प्रतिवादी द्वारा दायर विषय रिट याचिका पर विचार करना चाहिए था

वही सीमा पर अस्वीकार किए जाने के योग्य थे।

बी.

22. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और विवादित याचिका को खारिज कर देते हैं।

एन. टी. और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और रिट याचिका को खारिज कर दिया। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि

सभी का निपटारा कर दिया गया।

अपील की

अनुमति दी गई।

के. त्रिपाठी